

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनंदर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या:पॉच-11(उनिनोसीभ०-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में:

श्री सुधीर कुमार अवस्थी पुत्र श्री राजेश कुमार अवस्थी  
 अनुक्रमांक-463170258  
 निवासी-ग्राम साकेत नगर पो० थाना लालगंज  
 जनपद रायबरेली 229206

Part (5)

विषय-

उपनिरीक्षक ना०पु०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निनो०पु०/लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निनो०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुस्थित, अभियोग घंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण सामौ लायी रिक्त) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निनो०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के द्वारा संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-03-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निनो०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अस्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नन्जुडीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से स्तत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरात्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

20-3-20

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्दालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कर्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि उत्तरावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को झगड़ करते हुये अद्वितीय दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कर्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर विल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या:पैंच- ।।।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019 दिनांक:मार्च 7 2020

सेवा में

श्री रूप नारायण सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह  
 अनुक्रमांक-463160915  
 निवासी-ग्राम बैरहना पो० दरिगापुर थाना डलमऊ  
 जनपद रायबरेली 229001

ठिकाना:-

उपनिरीक्षक ना०प०/लाठून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अफैल संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना० उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सरित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/लाठून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने प्रशिक्षण में आगमन न करने प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने अवधारणा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मनी रायी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित लुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 लाठून कमाण्डर) के चयन परियाम उ०प्र० पुलिस भर्ती रुप्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के एवं संख्यावीआरपीवी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थीयों में से उपयुक्त अभ्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, कोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुलीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्तम्भित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का दूर्घारपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्त्तव्यालय अभिलेखों में तुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिकोण सूचनार्थ एवं त्वरित कर्त्तव्याली हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोद है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अनुद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्मूर्त तथ्यों से पुलिस न्यायालय के अदावत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कर्त्तव्याली की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उ०नि०स००८०-२०११) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री युवराज सिंह कुरील पुत्र स्व० हरिप्रसाद कुरील

अनुक्रमांक-462380155

निवासी- म०न० २५०/७६ याहियाबांज भीमनगर थाना चौक

जनपद लखनऊ 226004

दिष्यः-

उपनिरीक्षक ना०पु०/लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 1137C/2018 अलोक कुमर सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०स००८०/लाटून कमांडर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी में से प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०स००८० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त अनुपस्थित अभियांग पर्जीकृत होने प्रशिक्षण में आगमन न करने प्रशिक्षण बीच में छोड़कर दले जाने, उच्चान्त अथवा तेव देते हुए इच्छुक न होने आदि के कारण ननी नवी रिक्त) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित लुल-833 पदों के संप्रेष 769 (685 उ०नि०स००८० + 84 प्लाटून कमांडर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोलंग बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०स००८० के पद पर चयनित अभ्यर्थी ने से उपद्युक्त अभ्यर्थी को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बोसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फॉटो/रुपय 4000 में से एडवांस. पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शास्त्र पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णपेज अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7.3.20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्त्तव्य अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रबलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**समस्त पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है; कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की जेटोग्राफ से उसका सिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अनन्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्रक्ष कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, बन्धुवतील सिंगनंगर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या:पॉच- ॥ (उनिमीसी०मा०-२०११)२०१९ दिनॉक:मार्च ७ ,२०२०

सेवा मे.

श्री ब्रजभूषण वर्मा श्री उदन प्रसाद  
 अनुक्रमांक-437050605  
 निवासी-ग्राम लाहपुरवा(शिवरी)पो० भद्रवरा थाना हरियांवा  
 जनपद हरदोई 241001

दिये-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमान्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में स्टेल अपील संख्या ११३७०/२०१८ अलोक कुमार सिंह द अन्द मे. ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अरेत निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमान्डर पीरसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमान्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग एजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्त) एवं २२६ अन्दरे पदों सहित कुल-४३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०नि०ना०पु० + ८४ प्लाटून कमान्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति ढोई, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध मे,

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती दर्ज २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आदेति कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आदेति प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज १० फोटो/रूपया ४००० मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इहें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के सम्बन्धित करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमश: रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आदेति प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का दूर्घारेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही दयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय स्थायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

२-३-२०  
 पुलिस उपनिरीक्षक, अपराध/ कार्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने उत्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के दिनांक सहित हस्ताक्षत प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कर्तव्य करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेक्त्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिकोण सूचनार्थ एवं त्वरित कार्तव्य हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यालयी हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एकावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता ऐसी जारी है तो उक्त अभ्यर्थी की अनुद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अप्रिय दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

३५

श्री देव प्रकाश यादव पुत्र श्री चन्द्र पाल यादव  
अनुकमांक-463110397  
निवासी—ग्राम धूरी पोल मैत्युआ थाना जगतपुर  
जनपद रायबरेली 229001

**द्वितीय –** उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रसिद्ध निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०न०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्यर्थीयों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्यर्थी तथा उ०नि०न०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त अनुपरिधि, अमिटेंग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अमन्मन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अद्यदनित अथवा रंग हतु इच्छुक न होने आदि के कारण नहीं गदी रिहित) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०न०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का दृष्टन एरिया उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोलन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र ज्ञाया-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०न०पु० के पद पर चयनित अम्यर्थीयों में से उपयुक्त अम्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामों के पद पर द्यन के पश्चात् थेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडीC एवं दर्यात् संख्या में जासपोर्ट साइज़ 10 फोटो/रूपया 4000 मेस्स एडवांस, पहनने के वस्त्र, दिस्तर अदि लेकर जाएंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस्त की वेदसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्राप्त-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प देपर पर अकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशां का अनुपालन करना सनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का दूर्जस्तेषु अनुपलब्ध किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न इन गांधिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध / कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुटे इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-पुलिस महानीरीक्षक / उपमहानीरीक्षक, लखनऊ दरिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रयत्नित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दस्तिगात संचारार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।**

**प्रतिलिपि-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** के उक्त अन्धर्थ की मूल पत्रादली संलग्न कर अद्वेत कर्दावही हेतु प्रेसित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली ये उपलब्ध अन्धर्थ की फोटोग्राफ़ से उसका मिलान कर लिए उएं। यदि किसी द्रक्कार की कोई मिलन्ट/प्रतिकूलत याई जाती है तो उक्त अन्धर्थ की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से युलिस मरछालट को अटगाह करते होटे अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अद्वेत कर्दावही की जाए।

### संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पॉच- 111 (उनिमीसी0भ0-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री आगम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री रामरूप वर्मा  
 अनुक्रमांक-463110357  
 निवासी-म0न0 1143 रामजीपुरम निकट बस्तेपुर पो0 मलिक मउआइमा  
 थाना कोतवाली जनपद रायबरेली 229001

**दिष्य-** उपनिरीक्षक ना0पु0/ज्ञानून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्विल अग्रील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य मे मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा यारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0निमीसी0पु0/ज्ञानून कमाण्डर ईएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत द्यनित अस्यार्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर द्यनित 70 अस्यार्थी तथा उ0निमीसी0पु0 के पद पर द्यनित 537 (जै अनुपयुक्त अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छेड़कर चले जाने, अचयन्ति अध्यव स्वेच्छा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण भानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सावेक 769 (685 उ0निमीसी0पु0 + 84 ज्ञानून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के एवं संख्या: पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0निमीसी0पु0 के पद पर द्यनित अस्यार्थियों में से उपयुक्त अस्यार्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित द्यनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अस्यार्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नाटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय मे घोषित विभिन्न रिट याचिकाओं मे परित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7.3.20

पुलिस उपनिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अस्यार्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्तक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिष्क्रेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** हैंस्ट्रेक्ट अनुकूल पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अस्यार्थी की मूल पत्रावली स्लैग कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि दत्रावली पर उपलब्ध अस्यार्थी की फोटोग्राफ से उसक मिलन कर लिया जाये। यदि इसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता यह जारी है तो उक्त अस्यार्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सार्वज्ञ नद्यों मे पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए। सलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पॉच-111 (उनिनोसीभ०-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री शिवभोला पुत्र श्री प्यारेलाल  
 अनुक्रमांक-462380422  
 निवासी- ग्राम फतेहनगर पो० काकराबाद थाना मलिहाबाद  
 जनपद लखनऊ 227111

दिष्य:-

उपनिरीक्षक नाइपु०/प्लाटून कमाप्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्द में मा० ० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 रवि २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०निना०पु०/प्लाटून कमाप्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाप्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०निना०पु० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त अनुमतिशील अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण दे आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अध्यक्ष सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्तर्गत पदों सहित कुल-८३३ पदों के साथ ७६९ (६८५ उ०निना०पु० + ८४ प्लाटून कमाप्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती रंग प्रोन्ति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या अरपीडी-म-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६६५ उ०निना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में;

कृपया अद्यगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के फ्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती दर्ज २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नाइपु० के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्टीन संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा; यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुडीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्दिष्ट नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णलैण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट घाँचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

२०-३-२०२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि दो कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में तुरकित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेक को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रंतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुसूची है कि पत्रावली पर उत्तराधि अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलग फोटो लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिल्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्मद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।  
 संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पॉच- ।।। (उनिमीसीभ०-2011)2019      दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा मे

श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री संतकुमार  
 अनुक्रमांक-462380188  
 निवासी- ग्राम मलहा पो० व थान काकोरी  
 जनपद लखनऊ 227107

**विषय:-** उपनिरीक्षक न०३००/प्लाटून कमांडर सीई भर्ती-2011 के सम्बन्ध में लिखित अदीत संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य ने मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दरिह किए दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमीसीभ०-2019/प्लाटून कमांडर यीर्ती स्थीरी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीसीभ० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण छीट में छोड़कर छले जाने, अवयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नार्न नार्थी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिमीसीभ० + 84 प्लाटून कमांडर) का चयन परिणाम उ०३०० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्लिट बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या दीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उनिमीसीभ० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपद्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०३०० के पद पर चयन के पश्चात् दासेक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 का साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो अर्झ०८० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 कोटो/रूपया 4000 नेस एडवांस, दहनने के बस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख व क समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गए प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर वर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतरिक्ष प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्द्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार रटाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यालयी चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

१३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके ब्राह्मि का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि यत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता नाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उ०नि०सी०भ०-२०११)२०१९

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री गिरिन्द्रपाल  
अनुक्रमांक-437010478  
निवासी-ग्राम झबरापुरवा पौ० खजुरहरा थाना सुरसा  
जनपद हरदोई 241001

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०न०प०/प्लाटून कमण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत घटनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमण्डर के दद पर घटनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०न०प० के दद पर घटनित 537 (जो अनुप्रयुक्त, अनुपस्थित, अनिदेश पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दैच में छोड़कर छले जाने अद्यतन अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के करण मानी गयी रिक्त) एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०न०प० + 84 प्लाटून कमण्डर) का घटन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति ढोई, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के कलस्वरूप 685 उ०नि०न०प० के पद पर घटनित अभ्यर्थियों में से उपद्युक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्श 2011 से सम्बन्धित घटनित उपनिरीक्षक ना०प० के दद पर घटन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका घयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये ग्राहक-1 एवं 2 से कमश्वर रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में स्थिररित नियमों एवं प्रतिबन्धों का दूर्लभेषण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही घटन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रीष्ठ न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
7.3.20

पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश:

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेक दिनांक 16-03-2020 से प्रबलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल उत्तराली संलग्न कर अंग्रेज कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एक्सायली एवं उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई फिल्म/प्रतिकूलता याई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्बद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अप्रैम दिया स्टेंडेंस प्राप्त कर अंग्रेज कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, घृतरथल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या:पॉच- ।। (उ०नि०सी०भ०-2011)2020

सेवा मे.

श्री प्रेम पुत्र श्री उमाशंकर  
 अनुकमांक-463170444  
 निवासी-ग्राम व पो० याहो थाना खीरो  
 जनपद रायबरेली 229209

दिष्य:-


उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य मे ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/प्लाटून कमाण्डर ग्रीष्मी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चदनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर द्यनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर द्यनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित, अभिटोर पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नहीं गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के संघेक 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का द्यन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा, लखनऊ के पत्र संख्या:ग्रीष्मी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के कलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के पद पर द्यनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अदागत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित द्यनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर द्यन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 में से इडांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प देवर पर अकित कराकर तथा नोटरी से स्तम्भित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आदित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिदर्थों का पूर्णरूप अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार रसाइणेट प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय मुख्यालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
 ३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध/कार्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का काट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेन्ट को दिनांक 16-03-2020 से प्रद्युम्न प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था रम्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये, यदि किसी इकार की कोई मिन्ता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथा से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गामतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पॉच- ।।। (उनिसीभ०-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री जतिन्द्र कुमार पुत्र श्री रामबहादुर  
 अनुकमांक-463130435  
 निवासी-ग्राम टेकहा पो० कोन्सा थाना गुरुबक्षगंज  
 जनपद रायबरेली 229121


रिपोर्ट- उपनिरीक्षक ना०प०/प्लटून कमाण्डर सी०ई भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिति अपेल संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्देश दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिसीभ०प०/प्लटून कमाण्डर पीएसी सी०ई भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अध्यर्थियों में से प्लटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अध्यर्थी तथा उनिसीभ०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अग्रनन्त न करने, प्रशिक्षण दीद में छोड़कर दले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्दरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिसीभ०प० + 84 प्लटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उपरोक्त पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल फोर्म, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उनिसीभ०प० के पद पर चयनित अध्यर्थियों में से उपयुक्त अध्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सी०ई भर्ती दर्ज 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् बासिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अध्यार्थी अप्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्जय लिया गया है। अप अवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-C3-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं दर्यापत संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके जाथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल रुपाय एप्र पर अंकित करकर वथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर अवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्देश के अधीन रहेगा।

  
 पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कर्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अध्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिकेन्त्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिकोण सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अध्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अध्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये; यदि किसी इकार की कोई मिन्हता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अध्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस न्यायालय को अवगत कराते हुए अद्वितीय दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाए।  
 सलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उठनी०सी०भ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री शीलेश प्रताप पुत्र विजय कुमार  
अनुक्रमांक-437030010  
निवासी-ग्राम हुसैनपुर सहोरा पो० शक्तपुर थाना लोनार  
जनपद हरदोई 241001

टिप्पणी:-

उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिटेल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य ने ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उठनी०ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत ददनित अन्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के दद पर चयनित 70 अन्यर्थी तथा उठनी०ना०प० के दद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुरस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीद में छोड़कर छले जाने, अचयनित अथवा संदा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण नामी नामी रिक्त) एवं 226 अन्मरे यदों सहित कुल-833 यदों के सापेक्ष 769 (685 उठनी०ना०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परियाम उठनी०प० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के यत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उठनी०ना०प० के दद पर चयनित अन्यर्थियों में से उपयुक्त अन्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के दद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो अर्डी०प० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अन्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यालयी चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नानजीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में परित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

*25/3/20*  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अन्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्यालय अभिलेखों ने सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेक्त्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कर्यालय हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्थ प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अन्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अग्रेतर कार्यालयी हेतु प्रिष्ठि की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि उक्तवली उत्तर प्रशिक्षण अन्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई इन्ताप्रति याई जाए है तो उक्त अन्यर्थी की अम्बद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्बूज तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्वात कराते हुये अग्रेम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कर्यालयी की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

उत्तर

प्रदेश

ठावर-1, चतुर्थीतल, सिगनेंचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पैंच- ।।। (उनिनोसीभ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद

अनुक्रमांक-449100493

निवासी-ग्राम बलदेव नगर पोल गंगागंज थाना अटरिया

जनपद सीतापुर 261303

विषय-

उपनिरीक्षक नं.०५०/प्लाटून कमान्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या ।।।१३७०/२०१८ आलोक कुमार सिंह द अन्य में माल उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोसीभ०/प्लाटून कमान्डर सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत घटनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमान्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनोसीभ० के पद पर चयनित 537 (जो अनुद्युक्त, अनुस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण छीच में छोड़कर छले जाने, अचयनित अद्या सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनोसीभ० + 84 प्लाटून कमान्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-५७५/२०१८ दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनोसीभ० के पद पर घटनित अभ्यर्थियों में से उपद्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बद्धित घटनित उपनिरीक्षक नाम०प० के पद पर चयन के पश्चात् बंसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान अवंटित कर अध्यारम्भ प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप अवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रनुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अस्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर अवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में घोषित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपनिरीक्षक, अपराध/कार्यक्रम  
उत्तर प्रदेश;

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेन्ट को दिनांक ।।।०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कर्तव्याही हेतु,

प्रतिलिपि:-संस्था प्रनुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अंग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई फिल्टर/प्रतिकूलता याइ जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की असद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदाहत करते हुये अप्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कर्तव्याही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिलिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पौच- ।।। (उ०नि०सी०भ०-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्रीकान्त पुत्र श्री ईश्वरदीन  
 अनुक्रमांक-449180164  
 निवासी-ग्राम सलेमपुर पो० नवाबगंज थाना अजगैन  
 जनपद उन्नाव 209859

**ठिकाना:-** उपनिरीक्षक ना०४०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिटिल अ०१८ संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परिवर्तित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/लाटून कमाण्डर दीर्घी सीधी भर्ती-2011 के अन्वर्त चयनित अम्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुदयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) रु० 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोल्निट बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: दीआरपैटी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अम्यर्थियों में से उपयुक्त अम्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्वगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सन्वर्द्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०४० के पद पर चयन के पश्चात् बंसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 का साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में फासपार्ट साइज 10 फोटो/रूप्या 4000 बेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, डिस्टर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की डेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गए प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशिल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्ष प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में घोषित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

*२३-२०*

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अम्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तान्त कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कार्य करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेक को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण म सम्मिलित किए जाने के दृष्टिकोण सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था अमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अम्यर्थी की मूल पत्राली संलग्न कर अंग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुसूच्य है कि पत्राली पर उपलब्ध अम्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान करेंगे, जायें। यदि किसी प्रकार की कोई निन्ता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्यर्थी की अम्य विद्यालय संस्थान में न किया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्वगत करते हुये अधिक दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्राली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

उत्तर

प्रदेश

ठाकर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उनिमीसीमो-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जगेलाल

अनुकमांक-437030134

निवासी-मोनो 137 पुराना बोर्डिंग हाउस निकट सदर पुलिस चौकी

थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई 241001

दिष्ट:-


उपनिरीक्षक ना.0पु0/प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिति अपील संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अंतिम निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमीसीमो-0पु0/प्लाटून कमांडर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभियर्थी में से प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीसीमो के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण फीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अद्यता सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्विझ) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिमीसीमो + 84 प्लाटून कमांडर) का चयन दरियाम उम्हो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिमीसीमो के पद पर चयनित अभियर्थी में से उन्युक्त अभियर्थी को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदरकत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना.0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी<sup>०</sup> एवं वर्दापत्र संख्या ने पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, दिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की डेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कन्स: रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्वापित करकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिमित प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में घोषित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/जार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के सथ देखित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी का प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के वृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था एम्यूच पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली सलग्न उर अंग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिल्ना/प्रतिकूलता पर्व जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा हम्मी तथ्यों से पुलिस मुख्यालय के अवात करते हुये अप्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यालयी की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थी बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उ०नि०सी०भ०-२०११)२०१९

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री शिव प्रकाश पुत्र श्री राम पाल चौधरी  
अनुक्रमांक-463150160  
निवासी-ग्राम पूरेमढा पो० कौरिहर थाना गुरुबक्षगंज  
जनपद रायबरेली 229130

ठिक्काय-

उपनिरीक्षक ना०पु०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में स्टिल अईल संख्या ११३७०/२०१८ आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वाँ दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०ना०पु०/लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत ददनित अभ्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के द्वाँ पर ददनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर ददनित ५३७ (जो अनुपर्युक्त अनुपस्थित अभ्यर्थीयों में आगमन न करने, प्रशिक्षण ढीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अद्यता सेवा हेतु इच्छुक न होने अदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्मरे पदों सहित कुल-८३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६६५ उ०नि०ना०पु० + ८४ लाटून कमाण्डर) का दयन उपरियाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति डोर्ड लखनऊ के एत्र संख्या पीआरपीबी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के जलस्तरूप ६८५ उ०नि०ना०पु० के पद पर ददनित अभ्यर्थियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराये हैं कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती दर्व २०११ से सम्बन्धित ददनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर दयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान अद्यतित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आद्यतित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को साय काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया ४००० में रुपया ४००० के दस्त, बिस्तर अदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका दयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से क्रमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुनीशियल स्टाम्प ऐपर पर अकित करकर तथा नोटरी से स्टापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर अद्यतित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित निटनों एवं प्रतिलिपों का पूर्णपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही दयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीज्ञ न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिषेक्त्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की जोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता दाइ जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय के अन्वर ऊरते हुये अग्रिन देश निर्देश प्राप्त कर अटेतर कार्टवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठाकर-1, चतुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- 111(उनिंसी०८०-२०११)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

संग्रह में

श्री विशाल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता

अनुक्रमांक-449030195

निवासी-चीनी मिल रोड सम्पूर्णनगर थाना सम्पूर्णनगर

जनपद लखीमपुर खीरी 262904

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अंगील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निं०ना०पु०/प्लाटून कमांडर दीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निं०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग और कृत होने, प्रशिक्षण में अग्रमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मारी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निं०ना०पु० + 84 प्लाटून कमांडर) के द्वारा परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्लिट होर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरटीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निं०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थीद्वारा दे से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बासिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस रुपयांस, पहनने के वस्त्र बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प घेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्कों का पूर्णरूप अनुपलन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अधराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुरखीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस बत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करायें। अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न लर अंग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलग लिला जाए। यदि किसी प्रकार की कोई मिन्ट/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटात करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद भव्य लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उठनी०सी०भ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विकान्त सिंह कटारिया पुत्र श्री रामफल सिंह

अनुक्रमांक-439100312

निवासी-ग्राम-हीमपुर प्रथा पौ० अलाउददीनपुर थाना शिवालाकला

जनपद-बिजनौर 246734

दिष्ट:

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सैद्धि भर्ती-2011 के सम्बन्ध में लिखित अपील संख्या: ।।३७०/२०१८ आलेक कुमार सिंह व अन्य में मा०० उच्चतम स्थायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्देश दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उठनी०सी०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत घटनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उठनी०सी०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रुक्त अनुजरित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण द्वारा में छोड़कर छले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गई रिक्त) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उठनी०सी०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उठनी०पु० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीटै-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उठनी०सी०पु० के पद पर घटनित अभ्यर्थियों में से उप्रुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित घटनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 नेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलरेस्ट एवं इस सम्बन्ध में दिये गए प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शापथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेज अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय द्यायालय में योजित दिमिन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

२०२०-२०२१  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इन पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करायीलय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेक्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिरत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यालय हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रदली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुसेद्ध है कि पत्रदली जर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन कर लिया जाये; यदि किसी प्रकार की कोई फिल्टर/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटगत कराते हुए अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर शिल्पिंग, ज्ञानीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या:पॉच- 111(उनिमीसी0भ0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7 ,2020

सेवा में,

श्री तिरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह  
 अनुकमांक-439090070  
 निवासी-ग्राम-रामपुर किशना पो0 व थाना स्पोहारा  
 जनपद-बिजनौर 246746

**ठिक्काना:**— उपनिरीक्षक नामु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल असील सख्ता 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में साठ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमीसी0भ0/प्लाटून कमाण्डर यीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीसी0भ0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अद्ययनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिमीसी0भ0 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उमीद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्हाति बोर्ड, लखनऊ के पर संख्या:यीआरपीबी-न-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उनिमीसी0भ0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्रयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्श 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामु0 के पद पर चयन के पश्चात् ग्रेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इन सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नामजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शाएं पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्धनों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

नं- 3-20  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यक्रम  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेन्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अप्रेटर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय के अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेटर कार्यवाही की जायें।  
**संलग्नक—**मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
ठावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिलिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पैच-11। (उनिसीभा०-2011) 2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री सुधीर यादव पुत्र श्री जसवन्त सिंह यादव  
अनुक्रमांक-4230255  
निवासी-ग्राम-रामनगर खागूवाला पो० व थाना ठाकुरद्वारा  
जनपद-मुरादाबाद 244601

**विषय:-** उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में सा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा यारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निसीभा०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निसीभा०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अद्ययनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मात्री गटी रिक्त) एवं 226 अन्दरे पदों सहित कुल-833 पदों के स्पष्टीकृत 769 (685 उ०निसीभा०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का घटन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफेशनल डोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीडी-८-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निसीभा०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बोलिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं र्याज्ञ संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नक्काशीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शणथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं नियमों का पूर्णरूपेज अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेन्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की सम्पूर्ण कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

*२०३०२०*  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति एवं उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिष्कृत को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अद्वेत कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की जोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अपना प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्यत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अन्द्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रवली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-१, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पैच- ॥। (उनिमीमा-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री रम सिंह

अनुक्रमांक-424210685

निवासी-ग्राम-मोरा मुस्तकम पो० काजीपुरा थाना सिविल लाइन्स

जनपद-मुरादाबाद 244001

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०३०/प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में सिविल अग्रील संख्या 11370/2018 आलेक कुनर सिंह व अन्य में ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-११-२०१८ द्वं 25-०७-२०१९ के द्वारा उनिमीमा०३०/प्लाटून कमांडर पीएसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीमा०३० के जद पर चयनित 537 (जो अनुप्युक्त अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में अग्रसन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिकॉर्ड) द्वं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिमीमा०३० + 84 प्लाटून कमांडर) का चयन परिणाम उ०३० पुलिस भर्ती एवं प्रोफ़ेल्स बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: आरणीढी-भ-५७५/२०१८ दिनांक 20-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 665 उनिमीमा०३० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्युक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-४-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती दर्शक 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना०३० के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-०३-२०२० को साथ काल अपने अग्रसन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इहे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवसहित पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु 32/- द्वं 42/- के नानुज्ञाशियल स्टाम्प देपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों द्वं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमनुसार स्टाइपेण्ड प्रारूप करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई राशि भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उद्दरात्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय में योजित दिविन रिट दायिकाओं में पारित होने वाले निर्य के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर लार्याल्य अभिलेखों में सुरक्षित रखने का काट करे।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेत के दिनांक 16-०३-२०२० से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ द्वं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता याइ जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्ब प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवृत्त कराते हुये अप्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेहर बिल्डिंग, गांधीनगर विस्तार शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पैंच- ॥ (उनिं०सी०भ०-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा मे.

श्री अमित कुमार पुत्र श्री मुरे सिंह  
अनुक्रमांक-439040032  
निवासी-ग्राम-दौलतपुर पो० चन्दक थाना मण्डावर  
जनपद-बिजनौर 246721

**विषय:-** उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य मे० मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत द्यनित अभ्यर्थी में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग यंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यमेर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं ब्रेन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थी में से उपयुक्त अभ्यर्थी को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रभि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्ता 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान अद्वित ऊ अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अस्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये ग्राहुप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुलीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यपित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आदेंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतीबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में घोजित विभिन्न रिट याचिकाओं में जारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

२३२८  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक रहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यलय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद निकेत्र को दिनांक 13-03-2020 से प्रदत्त प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अंग्रेत कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकर की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्वित कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेत कार्यवाही की जाये।  
**संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
ठावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- ।।। (उनिसीभ-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री अतर सिंह  
अनुक्रमांक-424300219  
निवासी-ग्राम-सदाकिनगर पो० छिंगारी थाना शाहबाद  
जनपद-रामपुर 244411


**विषय:-** उणनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिति अपेल संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परिवर्तित दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निसीभु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निसीभु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अद्यनित अधदा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्वेट) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निसीभु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन दरिकाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टिं बोर्ड, लखनऊ के पड़ संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निसीभु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रमि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सन्दर्भित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के एवं पर्याप्त संख्या में बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थीन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णलेख अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्यता यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुशादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुए अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल सिंगनेवर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पौच- 11 | (उनिभी-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री छतरपाल सिंह  
अनुक्रमांक-439030443  
निवासी-ग्राम-पूरैला पो० बास्टा थाना चॉदपुर  
जनपद-बिजनौर 246725

**विषय-** उधनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में स्थ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निभी-2011/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निभी-2010 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण ढीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (686 उ०निभी-2010 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन दरिलाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के एवं संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 635 उ०निभी-2010 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उधनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अप्र० आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट एवं इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्युजीशियल स्टाम्प देपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का दूर्लक्षण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिविन रिट आयिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

*20-3-20*

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली एवं उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिन्ता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अटगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्न-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, वर्तुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पैंच- ।।। (उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राहुल यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव

अनुक्रमांक-424230369

निवासी-ग्राम-सरकड़ा परमपुर पो० रत्नपुरा थाना ठाकुरद्वारा

जनपद-मुरादाबाद 244601

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में इच्छित अपील संख्या 11370/2018 आलेक कुमर सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जरित निर्णय दिनांक 27-०१-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर शीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्त) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्लन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थी में से उपयुक्त अभ्यर्थी को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अदात कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्ज 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आदित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आदित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस रुपयांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलीसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर दर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आदित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा। प्रशिक्षण के न्यून नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपनिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उत्ते हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेन्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रवलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता यह जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमाद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठावर-1, चतुर्थतल, सिगनंगर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- ॥।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विवेक कुमार पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह

अनुक्रमांक-424280146

निवासी-ग्राम-हरिपुर मिलक पो० सैदपुर गंगा थाना असमौली

जनपद-सम्मल 244304

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० ० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दरित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/लाटून कमाण्डर दीर्घी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अस्थर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अस्थर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित ५३७ (जै अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण ने आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्तर्गत पदों सहित कुल-८३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६४५ उ०नि०ना०पु० + ८४ लाटून कमाण्डर) का चयन वरिष्ठाम उ०पु० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पड़ स्थान-चैअरपीबी-भ-५७५/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के कलस्वरूप ६६५ उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अस्थर्थियों में से उपयुक्त अस्थर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध ने।

कृपया अद्वगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया ४००० मेस एडवांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इहें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अस्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से क्रमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नान्युजीशियल स्टाम्प देपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्याग्रहित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित निटम्बों एवं प्रतिक्रियों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेज्ड प्राप्त करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मननाय न्यायालय में दोजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।



पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्मल को इस दिर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अस्थर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने त्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कर्यालय अमिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेत को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अस्थर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अंग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अस्थर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता दाई जाती है तो उक्त अस्थर्थी की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुए अधिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यदाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अमिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-१, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ॥।।(उ०नि०स०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च ७, 2020

सेवा में

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री अतर सिंह

अनुक्रमांक-424260151

निवासी-ग्राम-ताहरपुर सिमरौआ पो० सरथल थाना बनियाठेर

जनपद-सम्मल 202414

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/स्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलेक कुमार सिंह व अन्य में ज०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्देश दिनांक 27-११-२०१८ एवं 25-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०ना०पु०/स्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से स्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अद्यनित अध्या सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिप्टिं) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 स्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीरी-भ-575/2018 दिनांक 20-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती दर्ज २०११ से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्देश लिया गया है, आद आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज १० फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, दिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवसइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुसालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुसालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त ली समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्देश के अधीन रहेगा।

२०-३-२०  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्मल को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर दे सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिषेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**स्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस सुख्यालय को अवकाश करते हुये आग्रित दिशा: निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- ।।। (उनिनीसीभा-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अनुज कुमार पुत्र श्री नौबहार सिंह  
अनुक्रमांक-439050367  
निवासी-ग्राम-व पो० खटाई थाना नूरपुर  
जनपद-बिजनौर 246734

दिष्ट:-


उनिनीरेक्षक ना०पु०/लाटून कमांडर सीई भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अधीक्ष नं. 11370/2018 अलोक कुमार सिंह द अन्य में म०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनक 27-11-2018 रव 25-07-2019 के द्वारा उनिनी०पु०/लाटून कमांडर पीएसी सीई भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी में से प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनी०पु० के पद पर चयनित 537 (जे अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न लर्न, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों स्हित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (665 उनिनी०पु० + 84 लाटून कमांडर) के चयन परिणाम उपर्युक्त पुलिस भर्ती रव प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: आरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के फलस्वरूप 685 उनिनी०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थी हों में से उपयुक्त अभ्यर्थी हों जो अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्यत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश ले पत्रांक-प्रगि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरेक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर अधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। आप अद्यत प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, दहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नामजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुगालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइरेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में गान्धीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
20

पुलिस उपमहानिरेक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरेक्षक/उपमहानिरेक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न उक्त अद्यत कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोएफ से उसका निलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई निन्ता/प्रतिकूलता पई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की असद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्यत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या-पॉच- ॥ (उनिमीठी-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री हरेन्द्र कुमार पुन्न श्री संसार सिंह

अनुकमांक-474110325

निवासी-ग्राम व पो० व थाना गढ़ीपुख्जा

जनपद शामली 247776

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में रिपोर्ट संख्या: 11370/2018 आलेक कुमार सिंह द अन्त में स०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एसित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निमीठी-2011/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थीयों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निमीठी-201 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीन में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत यदों सहित कुल-833 यदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निमीठी-201 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का ददन परियाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निमीठी-201 के पद पर चयनित अभ्यर्थीयों में से उपयुक्त अभ्यर्थीयों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में,

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशिटल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ घर अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवर्धनों का पूर्णरूपेण अनुपलब्ध किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेज ग्राह करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट यांचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

२०.३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अनिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अन्मद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदरकत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अप्रेतर कार्यवाही की जाए। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या:पैच-111(ज०नि०सौ०भ०-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री पतंजली पुत्र श्री रामदास सैनी  
 अनुक्रमांक-474190463  
 निवासी-ग्राम व पो० बघरा थाना तितावी  
 जनपद मुजफ्फरनगर 251306

**विषय:-** उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर स्टैटी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में भा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्बर्थियों ने से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्बर्थ तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्मरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अम्बर्थियों में से उप्युक्त अम्बर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडटास, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अम्बर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके सथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्तुतापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुगालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरन्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के सथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अम्बर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर करकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यगाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** सम्मुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अम्बर्थ की मूल व्यावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अम्बर्थ की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्बर्थ की आनंद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदागत कराते हुये अद्वित दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ॥(उनिमीमा-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश  
अनुक्रमांक-474120110  
निवासी-ग्राम व पोल राजपुर-छाजपुर थाना बुढाना  
जनपद मुजफ्फरनगर 247775

विषय:-


उपनिरीक्षक नामो/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलेक कुमार सिंह व अन्य में माल उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमीमा-050/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीमा-050 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिमीमा-050 + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उन्मान पुलिस भर्ती एवं प्रोल्नाई बोर्ड, लखनऊ के पद संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिमीमा-050 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपर्युक्त अभ्यर्थियों को आधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्श 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामो के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायंकाल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त ईक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवास, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस जी वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में नानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध / कार्रिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यालय हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यालय हेतु प्रेषित की जा रही है कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यदर्ही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेहर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- 111 (उ०नि०सी०म०-२०११) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुखपाल सिंह  
अनुक्रमांक-474120434  
निवासी-ग्राम व पो० खन्दरावली थाना कैराना  
जनपद शामली 247775

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अटील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य ने मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एमआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्ज 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान अवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप अवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एक्साम्स, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शाय्य पढ़ अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यदाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२०३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिषेक्त्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वारित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेजित की जा रही है; कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिय जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिन्ता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किय जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से उलिस्त मुख्यालय को अदम्गत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-१, बहुर्थल, सिगनेचर बिल्डिंग, गामतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- ॥।(उ०नि०सी०म०-२०११)२०१९

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विपिन कुमार पुत्र श्री ओम सिंह  
अनुक्रमांक-474110267  
निवासी-ग्राम कनियान पो० एलम थाना कांधला  
जनपद शामली 247771

दिष्ट:


उपनिरीक्षक ना०प०/लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में सिविल अपील सख्ता 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०प०/लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत चयनित अन्यर्थियों में से लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अन्यर्थी तथा उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण कर्नी रद्दी रिहित) एवं 226 अन्दर पदों सहित कुल-833 पदों के सामेक 769 (685 उ०नि०ना०प० + 84 लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-म-५७५/२०१८ दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०प० के पद पर चयनित अन्यर्थियों में से उपयुक्त अन्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती दर्श 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान अवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को सायंकाल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं दर्याएत संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अन्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ ते कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शायद पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२-३-२०  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराष्ठ/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अन्यर्थों को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अन्यर्थों की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पट्टखली पर उपलब्ध अन्यर्थों की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अन्यर्थों की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कर्तव्यहीं की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पॉच- 111 (उनिनोसी०म०-२०११) 2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री कुलदीप चौहान पुत्र श्री सन्तरपाल सिंह  
 अनुक्रमांक-474140345  
 निवासी-ग्राम शेखूपुरा पो० कन्डेला थाना आदर्शमण्डी शामली  
 जनपद शामली 247774


**टिष्यु:-** उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोसी०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनोसी०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर छले जाने, अद्यानित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्त) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनोसी०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) के चयन परिणाम उन्होंने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरटीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनोसी०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती दर्श 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में स्ट्रिंग संस्थान के बस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक मह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेदसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प ऐपर घर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित करकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे; इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेभ अनुपालन किया जायेगा; प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय अधिकालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
 पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश;

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीकार/पुलिस अधीकार, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उन्न अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर करकर दूसरी प्रति दर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिष्क्रेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदत्त प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अप्रेत्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि उन्नाव की अप्रेत्र अभ्यर्थी की पत्रावली से उसका निर्देश प्राप्त कर लिया जाये। यदि किसी द्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता नई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।  
**संलग्नक-** मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-१, चतुर्थतल, सिगनचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- ॥(उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7 ,2020

सेवा में

श्री अंजुल कुमार पुत्र श्री भीम सिंह  
अनुक्रमांक-474260195  
निवासी-ग्राम व पो० झबीरन थाना सरसावा  
जनपद सहारनपुर 247232

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिद्धि अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा गरित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत द्यनित अम्यर्थियों ने से प्लाटून कमाण्डर के पद पर द्यनित 70 अम्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर द्यनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग घंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर दले जाने, अद्यनित अधार सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्गत उपलब्ध कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का द्यन एवं परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोलंति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर द्यनित अम्यर्थियों में से उपयुक्त अम्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित द्यनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर द्यन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आदिति कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आदिति प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एकदांस, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानुजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्वापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिवन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही द्यन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अम्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस दश की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अम्यर्थी की मूल अनादाली संलग्न कर अन्द्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रदाली पर उपलब्ध अम्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई सिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्यगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पैंच- 111 (उपनिवेशी ०८०-२०११) 2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री तेजपाल सिंह  
 अनुक्रमांक-474110326  
 निवासी-ग्राम व पो० कुडाना कला पट्टी खुन्नी थाना कोतवाली शामली  
 जनपद शामली 247776

दिव्यय:-

उपनिवेशीक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्टिल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह ट अन्त में मा०८ उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निवेशी ०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निवेशी ०पु० के यद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त अनुपस्थित अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित उथव जैसा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति), एवं 226 अन्तर्गत पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निवेशी ०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोलान्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलत्वरूप 685 उ०निवेशी ०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्रयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित उपनिवेशीक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेस्टिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायंकाल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के सम्बन्धित कराना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेबस्टाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नान्कुड़ीशीयल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विनियम रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

२३.२०

पुलिस उपनिवेशीक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विनियम रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिवेशीक/उपनिवेशीक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्राली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है कृपया अनुरोध है कि उत्तरावली एवं उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रेम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कर्तव्याधीन जी जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैच- ।।। (उ०नि०स०म०-२०११) २०१९

दिनांक:मार्च ७, २०२०

सेवा में

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामपाल सिंह  
अनुक्रमांक-474150400  
निवासी-ग्राम व पो० नाला थाना कान्धला  
जनपद शामली २४७७१

विषय:-

उचित अवधि के दौरान कमाण्डर सीधी भर्ती-२०११ के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: ११३७०/२०१८ अलोक कुमार सिंह द अन्य में सा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सारित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०स०म०-२०११ कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-२०११ के अन्तर्गत चयनित अन्यर्थीयों में से लाठून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अन्यर्थी तथा उ०नि०स०म०-२०११ के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अन्यर्थीयों के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०नि०स०म०-२०११ के पद पर चयनित अन्यर्थीयों में से उपयुक्त अन्यर्थीयों को अधारमूल प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-३३२-२०१९(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक ०६-०३-२०२० द्वारा सीधी भर्ती वर्ष २०१ से सम्बन्धित उपनिरीक्षक न०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक १६-०३-२०२० से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक १५-०३-२०२० को साथ काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज १० फोटो/रूपया ४००० में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अन्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं २ से कमशः रु ३२/- एवं ४२/- के नान्जुडीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नेटरी से स्तर्यापित कराकर शापथ पत्र अपने साथ लेकर अवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा, प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में सारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

१६-०३-२०२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्रिक  
उत्तर प्रदेश:

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अन्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक स्थित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यलय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहानुपर परिकेत्र को दिनांक १६-०३-२०२० से प्रदत्त प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अन्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अन्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका भिलान कर लिया जाये। यदि किसी इकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता साई जाती है तो उक्त अन्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा समूर्ध तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अधिक्रिया निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये, संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेवर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच- 11 (उनिसीमा-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री ललित कुमार पुत्र श्री सहन्द्र सिंह  
अनुक्रमांक-474120439  
निवासी-ग्राम साल्हाखेड़ी पो० अलीपुर खेड़ी थाना तितावी  
जनपद मुजफ्फरनगर 247001

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिद्धि अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निसीमा०प०/प्लाटून कमाण्डर फैरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निसीमा०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुद्युक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अद्यानित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मारी गयी रिक्त) एवं 226 अन्ये पदों स्थित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निसीमा०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीट-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्तर पर 685 उ०निसीमा०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपद्युक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेस्ति प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायंकाल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, घनने के बत्त, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में नियारित नियमों एवं प्रतिवर्धनों का पूर्णरूप अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में घारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

*2-3-20*

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्रिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ व्यक्ति की वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्राली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि एवं बताली उर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्राली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थीतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोपीनाथ विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पैंच- 11। (उनिनोसीप्पम-2011) 2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री रामकिशन पुत्र श्री रामरत्न यादव

अनुक्रमांक-478020935

निवासी-ग्राम नरईपुर पोरा रंगड़ीह थाना सरायमीर

जनपद आजमगढ़ पिन 276305

विषय:-


उपनिरीक्षक नामुपो/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मारा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोनामुपो/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनोनामुपो के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, उच्चयनित अधिकार सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिनोनामुपो +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उनप्र० पुलिस भर्ती एवं ब्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनोनामुपो के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामुपो के पद पर चयन के पश्चात बोसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइल प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
2-3-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थताल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पैच- 111(उनिष्टी०८०-२०११)२०१९ दिनांक:मार्च ७, २०२०

सेवा में,

श्री अखिलेश यादव पुत्र श्री रामाश्रम यादव

अनुक्रमांक-478011228

निवासी-ग्राम मझारी पो० खलिया समेरी थाना तहबरपुर

जनपद आजमगढ़ पिन 276206

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमेर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अम्यर्थियों में से उपयुक्त अम्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज़ 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्यता न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२.३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अम्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अमिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अम्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अम्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिन दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।  
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अमिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- 111(उनिष्टीभा०-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री रामनगीना यादव

अनुक्रमांक-478030439

निवासी-ग्राम रद्दोपुर कालीचौरा पो० सदर म०न० 188 थाना कोतवाली

जनपद आजमगढ़ पिन 276001

दिवसय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभार पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्यताय न्यायालय में घोषित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

7-2-21  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

ठाकर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पैंच- ।।।(उपनियोगी-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री बिन्देश यादव पुत्र श्री साहब राज यादव

अनुक्रमांक-478040199

निवासी-ग्राम व पो० इरनी थाना बरदह

जनपद आजमगढ़ पिन 276303

विषय:-

उपनिरीक्षक नापु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिद्धि अपील संख्या ।।।1370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उपनियोगी-प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उपनियोगी-प्लाटून कमाण्डर पीरसी सीधी भर्ती-2011 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उपनियोगी-प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उपरोक्त पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उपनियोगी-प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नापु० के पद पर चयन के पश्चात् बोसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेंस एडवास, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विनिम्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

20  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर ग्राप्त कर कार्यालय अमिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस न्यायालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश ग्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अमिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-220010  
संख्या: पैंच- 111 (उनिंसीभा०-2011) 2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री विवेक कुमार यादव पुत्र हरेशम यादव  
अनुक्रमांक-471150182  
निवासी-ग्राम इच्छाचौबे का पुरा पो० व थाना नरही  
जनपद बलिया पिन 277502

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का यूर्जलपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलन करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- 111(उ0नि0सीभ0-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री जवाहर यादव

अनुक्रमांक-47130484

निवासी-ग्राम खुशामदपुर पो0 व थाना मुहम्मदाबाद गोहना

जनपद मठ पिन 276403

विषय:-


उपनिरीक्षक ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिंदिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ0नि0ना0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ0नि0ना0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ0प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टेट बैर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ0नि0ना0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिए गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइल प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता गई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमाद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथाएँ से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पाँच— ११ (उनिसीमो-२०११) २०१९

दिनांक:मार्च ७ ,2020

सेवा में

श्री रमेश यादव पुत्र श्रीराम यादव

अनुक्रमांक-478050037

निवासी—ग्राम भूवाना खुर्द पो० विश्वनपुरा थाना जीयनपुर

जनपद आजमगढ पिन 276405

### **विषयः—**

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० ८० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक २७-११-२०१८ एवं २५-०७-२०१९ के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित ७० अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित ५३७ (जो अनुप्रयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं २२६ अनभरे पदों सहित कुल-८३३ पदों के सापेक्ष ७६९ (६८५ उ०नि०ना०पु० +८४ प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी-भ-५७५/२०१८ दिनांक २०-०९-२०१९ के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप ६८५ उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उप्रयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नामों के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारमूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी10 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अर्थात् निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड ग्राप्ट करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित दिमिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में २०  
१५.३.२०

**पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध / कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।**

**प्रतिलिपि:-** पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तागत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक /उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित छिये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी ग्राकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थतल, सिगनचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉव- ॥।।(उठनिःसीमा-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री चन्दन कुमार यादव पुत्र श्री अमला सिंह यादव

अनुक्रमांक-47110256

निवासी-ग्राम व पो० कोटवानरायनपुर थाना नरही

जनपद बलिया पिन 277501

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उठनिःना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उठनिःना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उठनिःना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उठनिःपुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उठनिःना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुसादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यक्रम  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेन्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुसादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यालय हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक—मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थीतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोपीनाथ विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- 111 (उनिष्टीमो-2011) 2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री विनोद कुमार विमल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

अनुक्रमांक-47160041

निवासी-ग्राम व पो ० चक्रश थाना हलधरपुर

जनपद मुक्ति पिन 221705

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक लुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुयुक्त, अनुष्ठित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टिं बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२३.२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मुक्त को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- ।।।(उठनिएसीभ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री आलोक रंजन पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद

अनुक्रमांक-478030033

निवासी-ग्राम असौसा पो० पवनीकला थाना मेहनगर

जनपद आजमगढ़ पिन 276204

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निएसीभ०-पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अध्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अध्यर्थी तथा उ०निएसीभ० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग जंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निएसीभ०-84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रेन्टेशन बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निएसीभ० के पद पर चयनित अध्यर्थियों में से उपयुक्त अध्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइल प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
20-3-20

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अध्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेक्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अध्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अध्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अध्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेंचर, बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच-11। (उनिमीमा-2011) 2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री शेषनाथ मारती पुत्र श्री निरंजन राम

अनुक्रमांक-478010696

निवासी-ग्राम कुन्जी पो0 पुनर्जी थाना जहानागंज

जनपद आजमगढ़ पिन 276131

विषय:-


उपनिरीक्षक नाम्पु0/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिटिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिमीमा0पु0/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिमीमा0पु0 के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिमीमा0पु0 +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उनपु0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टिं डोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिमीमा0पु0 के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नाम्पु0 के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की जमस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करे।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसके मिलन कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिंगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- 111(उनिंसीभ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री जयराम पुत्र स्व० रामनंदन

अनुक्रमांक-478010903

निवासी-ग्राम धरनीपुर बिसिया पो० व थाना गंगीरपुर

जनपद आजमगढ़ पिन 276302

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिदिल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० ० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निं०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निं०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्तर्मे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निं०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निं०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारमूल प्रशिक्षण कराए जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् वैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुशदाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मैस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड ग्राम करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा :

20  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेक्त्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रदलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुशदाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल दत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी द्रव्यकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर, बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पॉच- 111(उनिमीठ-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री शशिकुमार पुत्र श्री रामरूप राम

अनुक्रमांक-47140702

निवासी-ग्राम हड्डसर पो० ढोरीडीह थाना सिकन्दरपुर

जनपद बलिया पिन 221717

विषय:-


उपनिरीक्षक नामपु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अधील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सामेश 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक नामपु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसके मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या: पॉच- 111(उ0नि0सी0भ0-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री बृजेश कुमार सरोज पुत्र श्यामनराज  
अनुक्रमांक-478070081  
निवासी-ग्राम व पो० गोपालपुर थाना मेहनगर  
जनपद आजमगढ़ पिन 276204

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनमरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रुपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
२०२०

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यक्रमिक<sup>२०२०</sup>  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर ग्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
संख्या:पैच- ।।।(उ०नि०सी०भ०-2011)2019 दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अजय कुमार अंचल पुत्र श्री बालचन्द्र राय  
अनुक्रमांक-47160443  
निवासी-ग्राम पतीला पो० ललितपुर लुद्ही थाना कोपागंज  
जनपद मऊ पिन 275307

विषय:-

उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अम्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अम्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अम्यर्थियों में से उपयुक्त अम्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बैरिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी।० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अम्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्त्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइल प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्यक्रम  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अम्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अम्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अम्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर दिया जाये। यदि किसी प्रकर की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अम्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या-पॉच- ॥(उ०नि०सी०-२०११)२०१९

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री पंकज कुमार पुत्र श्री रामकुमार राम

अनुक्रमांक-478010845

निवासी-म०न० 72 ग्राम मनिकपुर पो० कन्धरापुर थाना तहबरपुर

जनपद आजमगढ़ पिन 276135

विषय:-


उपनिरीक्षक नां०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० +84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध ने।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रानि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नां०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिषेन्ट्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:-संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पैंच- ।।। (उ०नि०सी०भ०-2011)2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री आकाश मलिक पुत्र श्री कालूराम

अनुक्रमांक-474140297

निवासी-ग्राम व पो० पीनना थाना कोतवाली मु०नगर

जनपद मुजफ्फरनगर 251001

विषय:-

उपनिरीक्षक न०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिद्धिल अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०सी०भ०/प्लाटून कमाण्डर पी०सी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत दब्यनित अस्थिरियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अस्थर्थी तथा उ०नि०सी०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुष्ठित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर चले जाने, उच्चान्तित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने अदि के कारण मानी गयी रिमिट) एवं 226 अन्मरे पदों हाहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०सी०भ० + 84 प्लाटून कमाण्डर) के चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोफैलिंग दोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०नि०सी०भ० के पद पर चयनित अस्थर्थियों में से उपयुक्त अस्थर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अद्यत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित दब्यनित उपनिरीक्षक न०प० के पद पर चयन के पश्चात् देसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है; आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 नेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अस्थर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की टेलराइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ दर्ख अद्य अवैध स्थ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण लेखन अनुपालन किए जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।  
2-3-20

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर के इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अस्थर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्रति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यवाही अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कर्त करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर दरिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वारित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अस्थर्थी की मूल उत्तापनी संलग्न कर अग्रेटर कार्यवाही हेतु ब्रेझिट की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्राटली पर उपलब्ध अस्थर्थी की फोटोप्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी इकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पर्याप्त जाती है तो उक्त अस्थर्थी की अन्य प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्मानीय तथ्यों से दुरिक्षण मुख्यालय को अदात करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेटर कार्यवाही की जाये। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठार-1, चतुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पैंच- ।।। (उनिंसी०भ०-२०११)२०१९

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अमित कुमार पुत्र श्री रणवीर  
अनुक्रमांक-474190405  
निवासी-ग्राम सदरुदीननगर पो० सिसौली थाना भैरवाकला  
जनपद मुजफ्फरनगर 251319

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०नि०ना०पु०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर द्वारा जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्दर पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०नि०ना०पु० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०पु० पुलिस भर्ती एवं प्रोल्न्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलत्वालप 685 उ०नि०ना०पु० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आदिति कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आदिति प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मेस रुडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-१ एवं 2 से कमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ घट अपने साथ लेकर आदिति प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करें। इसके अंतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुयालन करना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण संस्थान में नियमित नियमों एवं प्रतिवर्णों का पूर्णरूपेण अनुयालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कराया अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्राटली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि द्वाराटली एवं उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा दिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई मिलान/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्बूर्ज तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अदावत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्राटली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, चतुर्थतल सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच-11। (उनिसीमा-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अमित मलिक पुत्र श्री वीरपाल सिंह

अनुक्रमांक-472140479

निवासी- मकान नं 566 ग्राम व पोल कुडाना(खुदी) थाना शामली

जनपद शामली 247776

विषय:-

उपनिरीक्षक नाम पुलिस प्रशिक्षण कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थिर अपील संख्या: 11370/2018 अलोक कुमार सिंह व अन्य में नाम उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिसीमा-पुलिस प्रशिक्षण सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अन्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अन्यर्थी तथा उनिसीमा-पुलिस प्रशिक्षण सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत अनुपयुक्त, अनुदर्शित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने अदि के कारण महीनी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों स्थिर कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उनिसीमा-पुलिस प्रशिक्षण कमाण्डर) का चयन परिणाम उपरोक्त पुलिस भर्ती एवं प्रेनन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-म-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिसीमा-पुलिस प्रशिक्षण कमाण्डर के पद पर चयनित अन्यर्थियों में से उपयुक्त अन्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित उपनिरीक्षक नाम पुलिस प्रशिक्षण के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को संयं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी<sup>0</sup> एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 नेस एडवांस, पहनने के टस्ट्र, बिस्तर अदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अन्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ घट अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा; प्रशिक्षण ले स्थ्य नियमानुसार स्टाइलेड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में घोषित विभिन्न रिट यथिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

*7-3-20*

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/ कार्मिक उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अन्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कर्तव्याधीन हेतु:

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अन्यर्थी की मूल पत्रवली संलग्न कर अद्वेतर कार्यवाही हेतु घेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रवली पर उपलब्ध अन्यर्थी की फोटोग्राफ़ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता याई जाती है तो उक्त अन्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कर्तव्याधीन की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**  
 टावर-1, चतुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010  
 संख्या: पैच-11। (उनिनीसीभ०-2011)2019 दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में

श्री अमित कुमार पुत्र श्री पवन सिंह  
 अनुक्रमांक-474130261  
 निवासी-ग्राम नूर नगर पो० व थाना पुरकाजी  
 जनपद मुजफ्फरनगर 251327

**विषय:-** उन्निरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिद्धि अपील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निना०प०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निना०प० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण दीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अथवा सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अन्यरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निना०प० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्टि बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीई-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निना०प० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को अधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उन्निरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेस्टिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायंकाल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 नेस रुपांतर, पहनने के ट्स्ट्र, डिस्टर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेदसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से कमश: रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के स्थियर नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध / कार्मिक  
 उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि दें कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इन पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक रहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर निर्क्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से व्यक्तिगत प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अद्वेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता याई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा समूर्ज तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अद्वेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

टावर-1, बहुर्थतल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या-पॉच-111 (उनिमीठ-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

स्वेच्छा में

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री चन्द्रहास  
अनुक्रमांक-474101718  
निवासी-ग्राम चौन्दाहेड़ी पो० पुरमाफी थाना झिंझाना  
जनपद शामली 247773

विषय:-


उपनिरीक्षक ना००३०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में स्थित अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा०० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निमीठ-प्लाटून कमाण्डर सीधी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अन्यर्थियों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अन्यर्थी तथा उ०निमीठ-प्लाटून के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर चले जाने, अद्यनित अथवा स्वेच्छा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण ननी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे ददों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निमीठ-प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निमीठ-प्लाटून के पद पर चयनित अन्यर्थियों में से उपयुक्त अन्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना००३० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायंकाल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000-मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अन्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प घेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा। प्रशिक्षण के नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मानवीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अन्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने त्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षर कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के वृद्धिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- स्वतंत्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अन्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अन्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अन्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अप्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अंग्रेतर कार्यवाही की जाए। संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश**

ठार-1, बृहत्तल, सिगनचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या:पॉच- 111(उनिनोसीभ०-2011)2019

दिनांक:मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री अंकुर मलिक पुत्र श्री कृष्णपाल मलिक  
अनुक्रमांक-474110433  
निवासी-ग्राम व पो० बहावड़ी थाना शामली  
जनपद शामली 247776

दिष्य:-


उपनिरीक्षक नाइप०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में सिविल अग्रील संख्या: 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्द में न० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा परित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उनिनोसीभ०/प्लाटून कमाण्डर जीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उनिनोसीभ० के पद पर चयनित 537 (जो अनुप्रयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर ढले जाने, अचयनित अध्ययन सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्त) एवं 226 अन्यरे ददों सहित कुल-833 ददों के सापेक्ष 769 (685 उनिनोसीभ० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन गरिणाम उनिनोसीभ० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उनिनोसीभ० के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक न०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 मैस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देवसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प देपर पर अंकित करकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान लो प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुसालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुसालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्रिक  
उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि:-**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में समिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-**पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में समिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-**संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रादली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रादली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोइफ़ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई मिलता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी जी अम्बद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाए। तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अद्गत करते हुये अग्रिम दिशा निर्देश ग्राप्त कर अग्रेतर कर्त्तव्याही की जाए।

संलग्नक-मूल पत्रादली (समस्त अभिलेखों सहित)

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टाकर-1, बृहत्थातल, सिगनेचर बिल्डिंग, गोपीनेतार विस्तार, शहीद पथ लखनऊ-226010

संख्या: पॉच-111 (उनिनोसीभ०-2011) 2019

दिनांक: मार्च 7, 2020

सेवा में,

श्री राकेश कुमार मिश्र पुत्र श्री शिव शंकर मिश्र

अनुक्रमांक-465040154

निवासी-ग्राम सुनहरा पो० परसा गोण्डी थाना कर्नलगंज

जनपद गोण्डा 271126

विषय:-


उपनिरीक्षक ना०प०/प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती-2011 के सम्बन्ध में लिटिल अपील संख्या 11370/2018 आलोक कुमार सिंह द अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 एवं 25-07-2019 के द्वारा उ०निनोप०/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थीयों में से प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित 70 अभ्यर्थी तथा उ०निनोप० के पद पर चयनित 537 (जो अनुपयुक्त, अनुपस्थित, अभियोग पंजीकृत होने, प्रशिक्षण में आगमन न करने, प्रशिक्षण बीच में छोड़कर ढले जाने, अद्यनित अथात सेवा हेतु इच्छुक न होने आदि के कारण मानी गयी रिक्ति) एवं 226 अनभरे पदों सहित कुल-833 पदों के सापेक्ष 769 (685 उ०निनोप० + 84 प्लाटून कमाण्डर) का चयन परिणाम उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीडी-भ-575/2018 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप 685 उ०निनोप० के पद पर चयनित अभ्यर्थीयों में से उपयुक्त अभ्यर्थीयों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-प्रनि-य-332-2019(एसआई प्रशिक्षण) दिनांक 06-03-2020 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2011 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०प० के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 16-03-2020 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 15-03-2020 को सायं काल अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/रूपया 4000 में से एडवास, पहनने के दस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की देबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप-1 एवं 2 से क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुड़ीशियल स्टाम्प ऐपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से स्त्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा; प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यदाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध/कार्मिक

उत्तर प्रदेश:

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्ताक्षत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षत प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, गोण्डा परिषेत्र को दिनांक 16-03-2020 से प्रचलित प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यदाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यदाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की अम्बद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्बूर्ध तथ्यों ने पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यदाही की जाये।  
संलग्नक-मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)